

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक प. 25(20) सा.प्र./4/2011

जयपुर दिनांक 9-9-14

प्रबंधक राजस्थान हाऊस/जोधपुर हाऊस
राजस्थान स्टेट गेस्ट हाऊस नई दिल्ली
प्रबंधक समस्त विश्राम भवन राजस्थान
प्रबंधक ट्रांजिट होस्टल, गांधीनगर जयपुर।

विषय:- बेशी/अनुपयोगी/अप्रचलित सामान का निस्तारण/नीलामी बाबत।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्र समसंख्यक दिनांक 22.07.2014

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 04.07.2014 के अनुसार आपके कार्यालय के बेशी/अनुपयोगी/अप्रचलित सामान के शीघ्र निस्तारण बाबत निर्देश प्रदान किए गए थे। इस संबंध में आप द्वारा की गई कार्यवाही से आदिनांक तक अवगत नहीं करस्य। मया है जबकि वित्त विभाग के निर्देशानुसार 31.12.2014 तक बेशी/अनुपयोगी/अप्रचलित सामान का शत-प्रतिशत निस्तारण किया जाना है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि बेशी/अनुपयोगी/अप्रचलित सामान का निर्धारित अवधि में शत-प्रतिशत निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करावें। निर्धारित तिथि से पूर्व शत-प्रतिशत निस्तारण नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें एवं अब तक की प्रगति से अचिलम्ब विभाग को अवगत कराएँ।

(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (सा. वि. ले. नि.) विभाग

(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव (क)